न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/43 /18	04.04.2018	29.06.2018

उनवान

1. अर्चना नवासी प्रभाती पत्नी समयसिंह, जाति बलाई।
2. आंचल नवासी प्रभाती पत्नी विजयसिंह जाति बलाई, निवासियान रामगढ हाल निवासी निजामनगर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
3. छोटेलाल पुत्र सुखराम जाति बलाई निवासी रामगढ

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.41, 350 रकबा 0.41, 351 रकबा 0.15, 352 रकबा 0.26, 353 रकबा 0.30, 355 रकबा 0.50 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 2.03 हैक्ट0 का 2/7 हिस्सा वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 206, 207 व 209 थे। विवादित आराजी वादीगण के नाना प्रभाती पुत्र सुखराम व वादी छोटेलाल के पिता सुखराम नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण सं0 1 व 2 के नाना प्रभाती का स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी विरासत वादीगण के नाम खुल चुकी है, जिसका नोट जमाबन्दी हाल में लगा हुआ है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा अपने नाना व पिता के जीवनकाल से बदस्तूर चला आ रहा है, जो कब्जा विगत करीब 50 साल से भी अधिक समय से चला आ रहा है। वादीगण को विवादित आराजी में कानूनन हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है। इसलिए वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के कानूनन अधिकारी है।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज०

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.41, 350 रकबा 0.41, 351 रकबा 0.15, 352 रकबा 0.26, 353 रकबा 0.30, 355 रकबा 0.50 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 2.03 हैक्ट0 का 2/7 हिस्सा वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित फरमाया जावे और कागजातमाल में वादीगण के नाम खातेदारी का अमल दरामद कराया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06. 2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वाके ग्राम गोहा जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, वाके ग्राम गोहा जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2013 से 2016, जमाबन्दी सम्वत 2020 के अवलोकन से विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बर 206, 207 व 209 थे। विवादित आराजी वादीगण सं0 1 व 2 के नाना प्रभाती पुत्र सुखराम के नाम व वादी सं0 3 छोटेलाल के नाम गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। वादीगण सं0 1 व 2 के नाना का स्वर्गवास हो चुका है, जिनकी विरासत वादीगण के नाम खुल चुकी है, जिसका नोट जमाबन्दी हाल में लगा हुआ है। विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा अपने बुर्जुगान के समय से बदस्तूर चला आ रहा है, जो कब्जा विगत करीब 50 साल से भी अधिक समय से चला आ रहा है। वादीगण को विवादित आराजी में कानूनन हकूक खातेदारी प्राप्त हो चुके है। इसलिए वादीगण स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के कानूनन अधिकारी है।

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.41, 350 रकबा 0.41, 351 रकबा 0.15, 352 रकबा 0.26, 353 रकबा 0.30, 355 रकबा 0.50 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 2.03 हैक्ट0 का 1/7 हिस्सा का वादी सं0 1 व 2 को तथा वादी सं0 3 को 1/7 हिस्से का वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर का काबिज काश्तकार

उप खण्ड अधिकारी

खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का खातेदारी में अंकन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/48 /18	04.04.2018	29.06.2018

उनवान

1. अर्चना नवासी प्रभाती पत्नी समयसिंह, जाति बलाई।
2. आंचल नवासी प्रभाती पत्नी विजयसिंह जाति बलाई, निवासियान रामगढ हाल निवासी निजामनगर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
3. छोटेलाल पुत्र सुखराम जाति बलाई निवासी रामगढ

.....वादीगण

बनाम

1. 'राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 349 रकबा 0.41, 350 रकबा 0.41, 351 रकबा 0.15, 352 रकबा 0.26, 353 रकबा 0.30, 355 रकबा 0.50 हैक्ट0 कुल किता 6 रकबा 2.03 हैक्ट0 का 1/7 हिस्सा का वादी सं0 1 व 2 को तथा वादी सं0 3 को 1/7 हिस्से का वाके ग्राम गोहा तहसील रामगढ जिला अलवर का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम का खातेदारी में अंकन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज०